आरसीएस एच.एम प्र.कं.–28/2022

न्यायालयः– जिला न्यायाधीश, हरसूद खण्डवा (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी–आशीष दवंडे)

RCSHM Registration No.28/2022
Filing No.-218/2022
CNR No.MP1205-001517-2022
Filing Date-17.10.2022

संजय पंवार, उम्र 27 वर्ष पिता सीताराम पंवार निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील हरसूद थाना नया हरसूद जिला–खंडवा (म.प्र.)

...............**<u>आवेदक</u>**

विरूद्ध

रविना, उम्र 24 वर्ष पिता भारत कोगे, पति संजय पंवार निवासी 118 रामकृष्ण बाग कॉलोनी, इंदौर जिला–इंदौर (म.प्र.)

................**अनावेदिका**

<u>::–निर्णय–::</u>

(आज दिनॉक–28.08.2023 को घोषित किया)

01. उभयपक्ष ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा–13बी के अंतर्गत प्रस्तुत इस संयुक्त याचिका दिनॉक 13.10.2022 में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की सहायता चाही गयी है।

02. संयुक्त विवाह विच्छेद याचिका के स्वीकृत तथ्य हैं कि, यह है कि, उभयपक्षों का विवाह हिंदू जाति रिवाज धार्मिक प्रथा एवं प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार 09.06.2020 को संपन्न हुआ था।

03. उभयपक्षों ने याचिका संक्षेप में यह प्रकट किया है कि आवेदक एवं अनावेदिका का विवाह 09.06.2020 को जाति रीति रिवाज एवं धार्मिक प्रथा के अनुसार

ग्राम जामन्या तहसील खिरकिया जिला हरदा में विधिवत संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात आवेदक तथा अनावेदिका एक दूसरे के साथ खरगोन एवं उसके पश्चात इंदौर में रह रहे थे। वैवाहिक जीवन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जैनिस है जिसका जन्म दिनांक 11.11.2021 को ग्राम प्रतापपुरा में हुआ था, जो दोनों आवेदक एवं अनावेदिका के साथ निवास करता था। आवेदक एवं अनावेदिका का वैवाहिक रिश्ता संतुष्टपूर्ण नहीं चल पाया, दिन प्रतिदिन दोनों के मध्य विवाद की स्थिति बनती चली गई जिससे दोनों का साथ में रहना असंभव हो गया। जिससे दोनों आवेदक एवं अनावेदिका अपने वैवाहिक रिश्ते को पूर्णतः समाप्त करना चाहते है व अपने भविष्य का जीवन पृथक पृथक जीना चाहते है जिसमें आवेदक व अनावेदिका के उपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है व दोनों अपनी राजीखुशी से उक्त प्रकरण अपने पृथक पृथक होने के लिये प्रस्तुत कर रहे है। आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य सुलह वार्ता का भी प्रयास किया गया लेकिन दोनों के मध्य सुलह वार्ता भी निष्फल रही है। आवेदक एवं अनावेदिका के माता पिता व रिश्तेदारों के माध्यम से भी आवेदक एवं अनावेदिका के वैवाहित रिश्ते को आगे चलाने के लिये वार्ता भी की गई, लेकिन वह भी निष्फल रही।

04. उभयपक्षों ने याचिका में यह भी प्रकट किया है कि आवेदक एवं अनावेदिका का एक पुत्र है जिसका नाम जैनिस है उसे आवेदक व अनावेदिका की सहमति से रखने का तय हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार से आवेदक व अनावेदिका पर कोई दबाव नहीं है और दोनों ने आपसी सहमति से व स्वतंत्र रूप से यह तय किया है कि उनका पुत्र जैनिस है जिसकी आयु लगभग 10–11 माह है वह अनावेदिका के पास रहेगा । आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य विवाह विच्छेद होना तय हुआ है व दोनों पृथक पृथक जीवन जीना चाहते है जिसके आवेदक व अनावेदिका को जो कुछ स्त्रीधन में मिला था जो आवेदक ने अनावेदिका को 12.10.2022 को लौटा दिया है।

05. प्रस्तुत याचिका में यह भी प्रकट किया गया है कि आवेदक व अनावेदिका के द्वारा जो भी केस एक दूसरे पर लगाये गये है वह दोनों आपसी

सहमति से सारे केसों को वापस लेना का तय हुआ है जिसमें आवेदक एवं अनावेदिका पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नही रहे। आवेदक एवं अनावेदिका ने आपसी सहमति से उक्त विवाह विच्छेद का प्रकरण न्यायालय में लगाया है, उक्त विवाह विच्छेद दोनों की सहमति से पेश किया जा रहा है। दोनों स्वतंत्र सहमति से एक दूसरे से पृथक पृथक होकर विवाह विच्छेद की डिक्री चाहते है ताकि वे अपना जीवन पृथक पृथक व्यतीत कर सके। दोनों दावा प्रस्तुति दिनांक से विगत दो–ढाई वर्ष पूर्व से पृथक पृथक निवास कर रहे है। आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य पति पत्नी के संबंध समाप्त हो चुके है तथा दोनों के मध्य मधुर संबध होने की कोई संभावना नहीं है। उभय पक्ष का पति पत्नी बनकर एक साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करना संभव नहीं होने से आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

06. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत संयुक्त विवाह विच्छेद की याचिका के आधार पर न्यायालय के समक्ष निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न है :–

> ''क्या आवेदक एवं अनावेदिका धारा 13(बी) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित आधारों पर आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पाने के अधिकारी हैं''?

–सकारण निष्कर्ष एवं आधार–

07. आवेदक एवं अनावेदिका ने अपनी पृथक पृथक समरूपी साक्ष्य प्रस्तुत कर साक्ष्य में यह प्रकट किया कि उनका विवाह दिनांक 9.06.2020 को हिन्दु जाति में प्रचलित प्रथा के अनुसार संपन्न हुआ था। इस प्रकार अनावेदक की विवाहित पत्नी है। वैवाहिक जीवन से उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जैनिस है। दावा प्रस्तुति दिनांक के दो ढाई वर्षो से आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य वैचारिक मतभेद चल रहे है जिससे प्रतिदिन उनका आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होते रहते थे, दोनों के विचार आपस में मिल नहीं होने से दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं हो पा रहा है व दोनों विगत दो–ढाई वर्षो से अलग निवास कर रहें है और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। तलाक का

प्रकरण प्रस्तुत करने को छैः माह का समय व्यतीत हो चुका है, इन छैः माह में दोनो के मध्य ऐसे संबंध नहीं बने कि दानों भविष्य में पति पत्नी के रूप में साथ में निवास कर सके। इस प्रकार भविष्य में दोनों का पति पत्नी बतौर एक साथ रहना संभव नहीं है दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक रहना चाहते है और विवाह विच्छेद की डिक्री चाहते है जिससे वे अपना जीवन पृथक पृथक व्यतीत कर सके। अतः उभय पक्षों ने उक्त आवेदन पत्र विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

08. उभयपक्ष की ओर से याचिका के समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विचार किया गया। हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) में यह उपबंधित है कि :–

09. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये यह है कि, विवाह के दोनो पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिये अर्जी, चाहे ऐसा विवाह, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में, इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग–अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वह इस बात के लिये परस्पर सहमत हो गये हैं कि विवाह विघटन कर दिया जाना चाहिये।

10. मामले की प्रकृति एवं परिस्थितियों में उभयपक्षों के बीच मेल मिलाप कराने के एक से अधिक प्रयास किये जाने पर यह व्यक्त किया गया कि, उभयपक्षों का एक साथ रहना संभव नहीं है और विवाह का विघटन कर दिया जाए। पूर्व तिथी पर दोनों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किये जाने पर भी दोनों का पति पत्नी के रूप में निवासरत होने व पुर्नमिलन की कोई संभावना दोनों ने ही प्रकट नहीं की। उभयपक्ष का विवाह दिनांक 13.06.2020 को हुआ एवं यह याचिका दिनांक 13.10.2022 को पेश की है। लगभग दो वर्ष से अधिक समय से दोनों पृथक रह रहे हैं। याचिका प्रस्तुति दिनांक 13.10.2022 से दिनांक 13.04.2023 को छह माह की अवधि पूर्ण हो रही है।

11. उभयपक्षों द्वारा किये गये संयुक्त अभिवचन दिनॉक 13.10.2022 एवं प्रस्तुत साक्ष्य दिनांक 28.08.2023 से इस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि,

उभयपक्षों द्वारा प्रकट की गयी सम्मति बल, कपट या असम्यक असर द्वारा अभिप्राप्त नहीं की गयी है। उभयपक्ष विगत दो वर्ष उससे अधिक समय से पृथक पृथक निवास कर रहे हैं, एक साथ नहीं रह सके हैं और इस बात के लिये परस्पर सहमत है कि, उनका विवाह का विघटन कर दिया जाए।

12. उक्त के दृष्टिगत उभयपक्षों की संयुक्त विवाह विच्छेद याचिका दिनॉक 13.10.2022 एत्द द्वारा स्वीकार की जाती है और निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता हैः–

(i) उभयपक्षों यथा–संजय पंवार एवं श्रीमती रविना पति संजय पंवार के बीच अनुष्ठापित विवाह 09.06.2020 को, दो वर्ष या उससे अधिक समय से पृथक–पृथक रहने, एक साथ नहीं रह सकने तथा परस्पर सहमत होने के आधार पर, एत्द द्वारा विच्छेदित किया जाता है ।

(ii) आज दिनॉक 28.08.2023 से प्रथम पक्ष, श्री संजय पंवार पिता सीताराम पंवार एवं श्रीमती रविना पति संजय पंवार के पति–पत्नी की प्रास्थिति समाप्त होती है ।

(iii) उभयपक्षों द्वारा किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये याचिका का व्यय उभयपक्षों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा ।

(iv) अधिवक्ता शुल्क 500 या नियमानुसार प्रमाणित कराया जाए, इनमें से जो भी न्यून हो व्यय सूची में जोड़ा जाए ।

(v) उभयपक्षों को आज्ञप्ति की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए ।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाए ।

हरसूद
दिनॉक–28.08.2023

(आशीष दवंडे)
जिला न्यायाधीश, हरसूद
जिला,खण्डवा(म.प्र.)

ASHISH DAWANDE

Digitally signed by ASHISH DAWANDE
Date: 2023.08.28 17:10:41 +0530